कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया (म.प्र.)

–: विविध आदेश :–

क्रमांक 24 /एक–11–1/09 उमरिया, दिनांक 30.05.2026

मैं **प्रियदर्शन शर्मा**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया, सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 15 एवं 21(4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य अधिनियमों में दी गई व्यवस्था व प्रावधान अनुसार तथा मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश व आदेश अनुसार, उमरिया जिले में नवीन पदस्थापना पर एवं अन्य जिले से स्थानातंरित होकर आये न्यायिक अधिकारीगण के मध्य निम्नानुसार सिविल एवं दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश पारित करता हूँ :–

क्र.	नाम न्यायालय	क्षेत्राधिकार	कार्य विभाजन
1	श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश अजा/ अजजा (अत्याचार निवारण अधिनियम), उमरिया	सत्र खण्ड जिला उमरिया, राजस्व जिला उमरिया	**आपराधिक खण्ड जिला उमरिया** 1–सत्र प्रकरण। 2–आपराधिक अपील। 3–आपराधिक पुनरीक्षण। 4–मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 5–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत जिले में प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे संबंधित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 6–धारा 482 व 483 बीएनएसएस के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन–पत्र (विशेष न्यायालयों की अधिकारिता वाले प्रकरणों को छोड़कर)। 7–धारा 448 एवं 449 बीएनएसएस के अधीन समस्त प्रकरण। 8–सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अन्य आपराधिक प्रकरण जिनका उल्लेख इस विभाजन पत्रक में नहीं है। **सिविल खण्ड जिला उमरिया** 9–नियमित व्यवहार वाद, जिसका मूल्यांकन रु. 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक हो एवं उन वादों से उद्भूत निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा इस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के निष्पादन संबंधी प्रकरण। 10–न्यायिक जिला उमरिया में कार्यरत सिविल न्यायालयों में लंबित प्रकरणों से उद्भूत होने

			वाले धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंतरण आवेदन–पत्र। 11–लोकल एक्ट्स के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील। 12–धारा 16(2) जागीर एवं लैण्ड रिफार्म्स एक्ट 1952 के अन्तर्गत प्रकरण। 13–व्यवहार वाद अंतर्गत धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता। 14–आर्बिटेशन एण्ड कंसिलिएशन एक्ट, 1996 के अंतर्गत रु. 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक के सभी प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 15– न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड उमरिया, बिरसिंहपुर पाली एवं मानपुर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत समस्त नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण। 16–ग्राम न्यायालय उमरिया द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण। 17–म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 के के अंतर्गत न्यायिक जिला उमरिया से उदभूत होने वाले निर्वाचन याचिका। 18–प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत सभी प्रकरण जिसमें ऋणग्रस्तता रुपये 1,00,00,000 से अधिक हो। 19–मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित समस्त प्रकरण। 20–हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 तथा गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण राजस्व जिला मुख्यालय की तहसील से संबंधित कुटुम्ब न्यायालय उमरिया के क्षेत्राधिकार को छोड़कर उपरोक्त अधिनियमों के अधीन संपूर्ण राजस्व जिला उमरिया से उद्भूत प्रकरण। 21–अन्य सिविल प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है तथा जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य है।

2	श्रीमती नजमा बेगम, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया, विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, 2003 एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	सत्र खण्ड जिला उमरिया, राजस्व जिला उमरिया	**<u>आपराधिक खण्ड जिला उमरिया</u>** 1–सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं इनके अंतर्गत धारा 482 व 483 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र। 3–विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जिनमें प्रतिभूति आवेदन पत्र एवं अन्य आनुषंगिक कार्यवाहियां भी शामिल हैं। **<u>सिविल खण्ड जिला उमरिया</u>** 4–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत प्रकरण तथा धारा 276 के अंतर्गत प्रोबेट के लिए प्रस्तुत प्रकरण। 5–म.प्र. म्यूनिसिपल एक्ट **37/01** की धारा 172(3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रकरण। 6–भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) से संबंधित प्रकरण। 7–लघुवाद प्रकरण 500 रुपये से अधिक तथा 1000 रुपये तक के मूल्य के। 8–लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत स्टेट ऑफीसर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील। 9–न्यायिक जिला उमरिया से उद्भूत होने वाले भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, उमरिया द्वारा म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत पारित आदेशों से उदभूत अपील। 10–अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उमरिया के रिक्त न्यायालयों के सभी आवश्यक कार्य। 11–माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मूल्यांकन 5,00,000/– रूपये से 1,00,00,000/– (एक करोड़) रुपये तक के प्रकरण, इनसे संबंधित विविध वाद एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 12–सिविल जिला उमरिया की स्थानीय सीमा तक विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत उत्पन्न दावों का विचारण।

			13–म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अधीन मामलों का विचारण। 14–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 15–प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण जिनमें ऋणग्रस्तता 1,00,00,000/– (एक करोड़) रुपये तक है। 16–प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
3	श्री अहमद रज़ा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एन.आई.ए. एक्ट तथा विशेष न्यायाधीश एन. डी.पी.एस. एक्ट, उमरिया	सत्र खण्ड उमरिया, राजस्व जिला उमरिया	**<u>आपराधिक खण्ड जिला उमरिया</u>** 1–सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2–राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण, प्रतिभूति आवेदन पत्र तथा उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियां। 3–स्वापक औषधि तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण, प्रतिभूति आवेदन पत्र तथा उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियां। **<u>सिविल खण्ड जिला उमरिया</u>** 4–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 5–भू–अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 18 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 6– माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मूल्यांकन 5,00,000/– रूपये तक के समस्त प्रकरण तथा इनसे संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 7– प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
4	श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, उमरिया	सत्र खण्ड सिविल जिला उमरिया	1–सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र।

			2–लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण तथा उनसे संबंधित प्रतिभूति आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 व 483 बीएनएसएस। 3–महिलाओं के विरूद्ध अपराधों (Offences Against Women) से संबंधित सत्र प्रकरण।
5	श्री दीपक कुमार अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया	सिविल जिला उमरिया (तहसील पाली, को छोड़कर)	1–रूपये 50,00,001 (पचास लाख एक रुपये) से अधिक तथा 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद एवं उक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 2–लघुवाद प्रकरण रुपये 201 से 500 रुपये मूल्य तक के। 3–धारा 139 एवं 172 (2) मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अपील। 4–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अधीन प्रस्तुत प्रकरण। 5–प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
6	श्रीमती वीणा खलखो, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया	सिविल जिला उमरिया (तहसील पाली को छोड़कर)	1–मुख्यालय उमरिया एवं तहसील मानपुर क्षेत्रान्तर्गत मूल्यांकन रूपये 5,00,001/– (पांच लाख एक रूपये) से अधिक 50,00,000 (पचास लाख) रूपये तक के व्यवहार वाद एवं उक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 2–प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
7	श्री आशीष धुर्वे, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया	सिविल जिला उमरिया (तहसील पाली, मानपुर को छोड़कर)	1–मुख्यालय उमरिया क्षेत्रांतर्गत रुपये 3,00,001 (तीन लाख एक) से अधिक 5,00,000 (पांच लाख) तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद एवं उक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 2–प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
8	श्री सरफराज खान, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, उमरिया	सिविल जिला उमरिया (तहसील पाली, मानपुर को छोड़कर)	1–रुपये 3,00,000 (तीन लाख) तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद एवं उक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 2–लघुवाद प्रकरण 200 रुपये मूल्य तक के।

			3–प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
9	श्रीमती पल्लवी सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, उमरिया	सिविल जिला उमरिया (तहसील पाली, मानपुर को छोड़कर)	1–प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
10	श्रीमती तारा मार्को, द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	सिविल जिला उमरिया (केवल तहसील बिरसिंहपुर पाली)	1–रुपये 5,00,001/– (पांच लाख एक रूपये) से 1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 2–लघुवाद प्रकरण 200/–रुपये से 500/– रूपये तक के (धारा 9 द्वारा प्राधिकृत)। 3–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग–10 के अधीन प्रस्तुत प्रकरण। 4–प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
11	श्री गोपाल नंदन पाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली	सिविल जिला उमरिया (केवल तहसील बिरसिंहपुर पाली)	1–रुपये 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 2–लघुवाद प्रकरण 200/–रुपये तक के (धारा 9 द्वारा प्राधिकृत)। 3–प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
12	श्री सतीश कुमार शुक्ला, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मानपुर	सिविल जिला उमरिया (केवल तहसील मानपुर)	1–रुपये 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) तक मूल्यांकन के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 2–लघुवाद प्रकरण 200/–रुपये तक के (धारा 9 द्वारा प्राधिकृत)। 3–प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा।

(प्रियदर्शन शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)

ब– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(8) एवं सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 21(4) के अंतर्गत कार्यरत पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक सिविल एवं आपराधिक कार्य के लिए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो **तत्काल** प्रभावशील होगा। उक्त व्यवस्था ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाशों के लिए भी लागू रहेगी।

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम प्राधिकृत न्यायाधीश	द्वितीय प्राधिकृत न्यायाधीश	तृतीय प्राधिकृत न्यायाधीश
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
2	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
3	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
4	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम प्राधिकृत न्यायाधीश	द्वितीय प्राधिकृत न्यायाधीश
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
2	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
3	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
4	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
5	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
6	द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुरपाली	द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उमरिया
8	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मानपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड

नोट :–

1. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया के विशेष अधिकारिता वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में उनकी अनुपस्थिति में प्रथमतः तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इसके पश्चात द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया तथा उनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, उमरिया आवश्यक कार्य देखेंगे।
2. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की विशेष अधिकारिता एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में उनकी अनुपस्थिति में प्रथमतः तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इसके पश्चात प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया या उनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, उमरिया आवश्यक कार्य देखेंगे।

3. सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने की दशा में सोमवार व मंगलवार को प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रतिभूति आवेदन पत्र न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष, बुधवार व गुरूवार को प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रतिभूति आवेदन पत्र न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष एवं शुक्रवार व शनिवार को प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रतिभूति आवेदन पत्र न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु प्रेषित किये जायेंगे। उक्तानुसार दिवसों में संबंधित न्यायालय द्वारा उन प्रतिभूति आवेदन पत्रों पर सुनवायी की जायेगी तथा उनके अवकाश पर रहने की दशा में उनके न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश द्वारा उक्त प्रकरणों की सुनवायी की जायेगी।

4. न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की विशेष अधिकारिता लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरणों में उनकी अनुपस्थिति में प्रथमतः द्वितीय सत्र न्यायाधीश उमरिया या उनकी अनुपस्थिति में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, उमरिया आवश्यक कार्य देखेंगे।

5. किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, न्यायालय के रिक्त अथवा बंद होने की स्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया तथा किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, न्यायालय के रिक्त एवं बंद होने की स्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, उमरिया उनका आवश्यक सिविल कार्य सम्पादित करेंगे।

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के अंतर्गत सत्र न्यायालयों में प्रस्तुत ऐसे प्रतिभूति आवेदन पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे जिस न्यायालय में उससे संबंधित प्रकरण लंबित हों, साथ ही ऐसे प्रतिभूति आवेदन पत्र जिनसे संबंधित पूर्व में सुनवाई की जा चुकी है, वह प्रतिभूति आवेदन पत्र सुनवाई हेतु केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग द्वारा उसी न्यायालय में अंतरित किये जायेंगे जिनके द्वारा पूर्व आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रतिभूति आवेदन पत्र केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग में पंजीयन होने के उपरांत अंतरण की कार्यवाही की जावेगी।

7. एससी/एसटी अधिनियम से संबंधित विशेष प्रकरण स्वतः सत्र न्यायाधीश, एनडीपीएस के प्रकरण स्वतः द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश तथा विद्युत अधिनियम, भ्रष्टाचार अधिनियम से संबंधित विशेष प्रकरण स्वतः प्रथम अपर सत्र न्यायालय में सीधे अंतरित माने जावेंगे। साथ ही महिलाओं के विरुद्ध/पॉक्सो अधिनियम से संबंधित विशेष प्रकरण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र स्वतः तृतीय अपर सत्र न्यायालय में सीधे अंतरित माने जावेंगे।

8. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रकरण विशेष न्यायाधीश की अनुपस्थिति में प्रथमतः द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया तथा उनकी अनुपस्थिति में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश तथा उनकी भी अनुपस्थिति में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया आवश्यक कार्य देखेंगे।

9. यह कार्य विभाजन आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा तथा एतद्पश्चात प्रकरणों का पंजीयन उपरोक्त कार्य विभाजन के आधार पर किया जावेगा। यह कार्य विभाजन आदेश लंबित प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

(प्रियदर्शन शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)